रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 7 जुलाई, 2006/16 आषाढ़, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 7 जुलाई, 2006

संख्या एल0एल0आर0डी0(6)18/2006–लैज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 1–7–2006 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करना) अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–

प्रधान सचिव (विधि)।

1032–राजपत्र/2006–7–7–2006––1,530. (2279) मूल्य : एक रुपया।

2006 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करना) अध्यादेश, 2006

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करने का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अध्यादेश।**

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राईवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करना) अध्यादेश, 2006 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.**— इस अध्योदश में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(क) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" (कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट) से चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा या ऐसी अधिसूचना होने तक राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा अभिप्रेत है;

(ख) "फीस" से अध्यापन फीस और विकास प्रभारों सहित समस्त फीस अभिप्रेत है;

(ग) "सामान्य प्रवर्ग" से राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में भरे जाने के लिए आबंटित, प्रबन्धन प्रवर्ग की सीटों को छोड़ कर, संस्था के लिए मंजूर स्थानों (इनटेक) में से स्थान अभिप्रेत और विवक्षित होंगे;

(घ) "प्रबन्धन प्रवर्ग" से किसी संस्था में मंजूर स्थानों (इनटेक) में से, राज्य सरकार के प्राधिकृत अभिकरण द्वारा भरे स्थानों से अन्यथा, संस्था के प्रबन्धन को इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा भरे जाने के लिए आबंटित, स्थान अभिप्रेत और विवक्षित होंगे;

(ङ) "चिकित्सा पाठ्यक्रम" से औषध, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरा–मैडिकलज या औषध की किसी अन्य पद्धति में कोई अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जो उस पाठ्यक्रम को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त या अनुमोदित है;

(च) "अनिवासी भारतीय छात्र" से विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के प्रतिपाल्य (वार्ड) अभिप्रेत है और जिन्होंने विदेश से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(छ) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत होगी;

(ज) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत होगा;

(झ) "प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या किसी लोक निकाय द्वारा स्थापित या सम्बर्धित न हो;

(ञ) "अर्हता परीक्षा" से सम्बन्धित कानूनी प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विहित न्यूनतम पात्रता अर्हता या इसके समकक्ष अभिप्रेत है;

(ट) "मंजूर स्थान" (इनटेक) से राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु कुल मंजूर किए गए स्थान अभिप्रेत और विवक्षित होंगे;

(ठ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(ढ) "असाहाय्यित संस्था" से सहायता प्राप्त न करने वाली प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है।

3. **प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करना.**—(1) राज्य सरकार विभिन्न प्रवर्गों के लिए प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश को विनियमित करेगी, फीस नियत करेगी और आरक्षण करेगी।

(2) राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसी संस्था में सभी प्रवर्गों के अन्तर्गत प्रवेश उचित और पारदर्शी रीति में दिया गया है।

(3) राज्य सरकार, ऐसे सदस्यों, जैसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, से गठित प्रवेश और फीस समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का राज्य सरकार को प्रवेश देने, आरक्षण करने, सीटों का आबंटन करने तथा फीस का नियतन करने इत्यादि की रीति की सिफारिश करने के लिए गठन कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार प्रवेश और फीस समिति के कार्यकरण का निरीक्षण करेगी।

(5) यदि समिति का उपरोक्त उप–धारा (3) के अधीन गठन कर दिया जाता है, तो ऐसी समिति और इसके सदस्यों के निबन्धन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(6) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला–171005 से सहबद्ध संस्था ने इस अध्यादेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी संस्था की मान्यता या सहबद्धता को प्रत्याहृत करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर सकेगी।

(7) राज्य सरकार संस्थाओं में प्रवेश की प्रणाली (पद्धति) में सुधार लाने के लिए या संस्थाओं द्वारा फीस के प्रभारित करने के लिए या किसी अन्य मामले में, जो प्रणाली (पद्धति) के निर्बाध परिचालन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हो जहां कहीं आवश्यक समझी जाए, तथा शिकायतों को दूर करने की बाबत समुचित कार्रवाई करेगी।

4. **प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड.**—(1) प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु पात्रता मापदण्ड ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित और अधिसूचित किया जाए।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा संचालित करवा सकेगी।

(3) प्रवेश, सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाने वाली रीति और प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में प्रत्येक चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु, सभी प्रवर्गों में विद्यार्थियों के केन्द्रीयकृत कॉउसलिंग द्वारा आवेदनों की केन्द्रीकृत प्राप्तियों के आधार पर दिया जाएगा।

5. **सीटों का आबंटन.**—(1)असाहाय्यित प्राइवेट चिकित्या शैक्षणिक संस्था, कानूनी आरक्षणों जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाए, के साथ स्थानों के प्रबन्धन प्रवर्ग कोटा के रूप में कुल मन्जूर स्थानों (इनटेक) के पचास प्रतिशत तक आरक्षित कर सकेगी।

(2) अनिवासी भारतीय छात्रों के प्रवेश की दशा में,––

(क) प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था ऐसे छात्रों को स्थानों की ऐसी संख्या, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के विरुद्ध प्रवेश दे सकेगा :

परन्तु यह कि अनिवासी भारतीय छात्रों के लिए स्थानों की कुल संख्या प्रबन्धन प्रवर्ग के कुल मन्जूर स्थानों (इनटेक) के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) प्रवेश, प्रबन्धन प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित सीटों के विरुद्ध दिया जाएगा।

6. **सीटों का आरक्षण.**––समस्त प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाएं, नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों की उन्नति के लिए ऐसे विस्तार तक, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, सामान्य प्रवर्ग तथा प्रबन्धन प्रवर्ग में प्रवेश के लिए स्थान आरक्षित करेंगे।

7. **फीस का नियतन.**––(1) राज्य सरकार, प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस अवधारित करते समय या समिति, यदि धारा 3 की उप–धारा 3 के

अधीन गठित की गई है, राज्य सरकार को इसकी सिफारिश करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए करेगा :—

(क) संस्था की अवस्थिति;

(ख) चिकित्सा पाठ्यक्रमों की प्रकृति;

(ग) भूमि तथा भवन की लागत;

(घ) उपलब्ध अवसंरचना तथा उपस्कर;

(ङ) संकाय, प्रशासन तथा रख–रखाव पर उपगत या उपगत किए जा रहे व्यय;

(च) संस्था के संवर्धन तथा विकास के लिए अपेक्षित युक्ति–युक्त लाभ; और

(छ) कोई अन्य सुसंगत बात, जिसे राज्य सरकार फीस के अवधारण के लिए न्यायोचित तथा समुचित समझे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन फीस का अवधारण करने से पूर्व यथास्थिति, राज्य सरकार या उक्त समिति सम्बन्धित प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं और ऐसी संस्थाओं में पहले से ही अध्ययनरत छात्रों के प्रतिनिधियों तथा उन छात्रों के प्रतिनिधियों जो जन संस्थाओं में प्रवेश चाहते हैं, को फीस के अवधारण की बाबत लिखित में अपने विचार बिन्दुओं को अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर देगी।

(3) उप–धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार लोकहित में अनन्तिम फीस अवधारित कर सकेगी :

परन्तु उप–धारा (1) और उप–धारा (2) के अनुसार फीस ऐसी अनन्तिम फीस के नियतन से नब्बे दिन की अवधि के भीतर नियत की जाएगी।

(4) उप–धारा (1) और उप–धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को, इस अध्यादेश के प्रारम्भ से पूर्व, किसी भी समिति द्वारा नियत फीस संरचना के पुनर्विलोकन की शक्ति होगी।

8. **उल्लंघनों से निपटने के लिए क्रियाविधि.**— राज्य सरकार इस, अध्यादेश या तदधीन जारी किसी अधिसूचना के उपबन्धों के उल्लंघनों के सम्बन्ध में परिवादों (शिकायतों) को ग्रहण करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक नॉडल अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, नियुक्त करेगी।

(2) राज्य सरकार इस अध्यादेश या तद्धीन जारी किसी अधिसूचना के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए स्वप्रेरणा से अवेक्षा कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, परिवादी द्वारा किए गए अभिकथनों पर या स्वप्रेरणा पर जांच करवा सकेगी और निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगी; अर्थात् :—

(क) परिवाद को दाखिल–दफ्तर कर सकेगी, यदि इसकी राय में यह तंग करने वाला, अनाम या छद्मनाम वाला परिवाद है; या

(ख) परिवादी को अतिरिक्त सूचना देने या अपने अभिकथनों के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी; या

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्रवाईयां कर सकेगी जैसी यह समुचित समझे।

(4) उप–धारा (3) के अधीन जांच का संचालन करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा और जांच साठ दिन की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

(5) नॉडल अधिकारी को, प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के अभिलेखों को देखने, अभिप्राप्त करने तथा उनकी संवीक्षा करने के साथ ही किसी भी व्यक्ति या किस सुसंगत शासकीय अभिलेख, जिसे वह आवश्यक समझे, को समन करने हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी।

9. **शास्तियां.**—(1)राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था ने इस अध्यादेश या तदधीन जारी किसी अधिसूचना के किसी

उपबन्ध का उल्लंघन किया है, तो वह निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई कार्रवाई कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसी संस्था की सहबद्धता या मान्यता को विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिससे ऐसी संस्था सहबद्ध है, प्रत्याहृत कराना;

(ख) ऐसी संस्था पर जुर्माना अधिरोपित करना, जो प्रभारित की गई अधिक फीस के पन्द्रह गुणा तक हो सकेगा और जमा न कराने की दशा में जुर्माना भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगा;

(ग) ऐसी संस्था को उस छात्र के प्रवेश या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के निदेश देना, जिसे संस्था में इस अध्यादेश या तदधीन जारी अधिसूचना के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रवेश दिया गया है; या

(घ) ऐसी संस्था को उस छात्र को प्रवेश देने के लिए निदेश देना, जिसको प्रवेश देने के लिए गलत तौर पर वंचित किया गया है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा ऐसी संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

10. **राज्य सरकार को निदेश जारी करने की शक्तियां.**—राज्य सरकार समय–समय पर प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो उसकी राय में, इस अध्यादेश या तद्धीन जारी अधिसूचनाओं के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो और ऐसी संस्थाएं इस प्रकार जारी निदेशों की अनुपालना करेंगी।

11. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.**—(1) यदि इस अध्यादेश के किसी उपबन्ध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हो, ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

12. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—इस अध्यादेश के अधीन या तद्धीन जारी अधिसूचना के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने को आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

प्रधान सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला :

तारीख :

H. P. Ordinance No. 4 of 2006.

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION, FIXATION OF FEE AND MAKING OF RESERVATION) ORDINANCE, 2006

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty Seventh Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for regulation of admission, fixation of fee and making of reservation in Private Medical Educational Institutions in the State of Himachal Pradesh and for the matters connected therewith or incidental thereto,

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, Therefore, in exercise of the power conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission, Fixation of Fee and Making of Reservation) Ordinance, 2006.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definitions.*— In this Ordinance, unless the context otherwise requires,

(*a*) "Common Entrance Test" means an Entrance Test, for the purpose of admission to a Medical Course, conducted by an agency authorized by the State Government, by a notification published in the Official Gazette or, pending such notification, by the State Government;

(*b*) "Fee" means all fee including tuition fee and development charges;

(*c*) "General Category" shall means and imply seats from out of the sanctioned intake of institution; not being seats in the management category, allocated to be filled by the State Government in the manner as may be prescribed;

(*d*) "Management Category" shall mean and imply seats in an institution from out of the sactioned intake, other than those filled by the authorised agency of the State Government, allocated to the management of the institution for being filled by it in accordance with the provisions of this Ordinance;

(*e*) "Medical course" means any approved professional course in medicine, dentistry, nursing, pharmacy, para-medicals or in any other system of medicine which are recognised or approved under the respective Act governing that course;

(*f*) "Non-Resident Indian Student" means the wards of Indian citizens residing abroad and who have passed the qualifying examination from abroad;

(*g*) "Notification" shall mean a notification published under proper authority in the Official Gazette;

(*h*) "Official Gazette" shall mean the Rajpatra of Himachal Pradesh;

(*i*) "Private Medical Educational Institution" means an institution not established or promoted by the Central Government; State Government or Union Territory Administration or any public body;

(*j*) "Qualifying Examination" means the minimum eligibility qualification or its equivalent prescribed by the concerned statutory authority for taking admission in 1st year of the medical course;

(*k*) "Santioned intake" shall mean and imply the total number of seats sanctioned by the State Government for admitting students in each course of study in a Private Medical Educational Institution;

(*l*) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(*m*) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and

(*n*) "Unaided Institution" means a Private Medical Educational Institution, not being an aided institution.

3. *Regulation of admission, fixation of fee and making of reservation.*— (1) The State Government shall regulate admission, fix fee and make reservation for different categories in admissions to Private Medical Educational Institutions.

(2) The State Government shall ensure that the admission under all the categories in an institution is done in a fair and transparent manner.

(3) The State Government, may constitute an Admission and Fee Committee, (hereinafter referred to as Committee), consisting of such members as may be specified by the State Government by notification, published in the Official Gazette, to recommend the mode of admission, making of reservation, allocation of seats and fixation of fees etc. to the State Government.

(4) The State Government, shall oversee the working of Admission and Fee Committee.

(5) The Committee if constituted as per sub section (3) above; the terms and conditions of such Committee and its members shall be specified by the State Government by notification in the Official Gazette from time to time.

(6) If the State Government is satisfied that the institution affiliated to the Himachal Pradesh University, Shimla-171005, has contravened any provision of this Ordiance, it may initiate action for withdrawal of recognition or affiliation of such institution.

(7) The State Government, shall take appropriate action wherever deemed necessary, with regard to improvement in the system of making admissions in the institutions; or charging of fee by the institutions; or on any other matter; which may be necessary to facilitiate smooth running of the system and to remove grievances.

4. *Eligibility criteria for admission.*— (1) The eligibility criteria for admission to a Private Medical Educational Institution shall be such, as may be determined and notified by the State Government from time to time.

(2) The State Government may get a Common Entrance Test conducted for admission to each Medical Course.

(3) The admissin shall be made on the basis of centralised receipt of applications, by making centralised counselling of such students in all the categories for each Medical Course, in a fair and transparent manner in accordance with the manner and procedure as may be determined by the State Government from time to time.

5. *Allocation of seats.*—(1) An Unaided Private Medical Educational Institution may reserve upto fifty percent seats of the total sanctioned intake as a management category quota of seats with statutory reservations as may be determined by the State Government.

(2) In the case of admission of Non Resident Indian Students;

(*a*) a Private Medical Educational Institution may admit such students against such number of seats, as may be notified by the State Government:

Provided that the total number of seats for the Non-Resident Indian Students, shall not exceed fifteen percent of the total sanctioned intake of the management category;

(*b*) admission shall be made against the seats, notified as management category.

6. *Reservation of seats.*— All Private Medical Educational Institutions shall reserve seats for admission in general category and management category, for advancement of socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes to such extent, as may be notified by the State Government from time to time.

7. *Fixation of fee.*— (1) The State Government while determining or the Committee if constituted under sub-section (3) of section 3 while recommending to the State Government, the fee to be charged by a Private Medical Educational Institution, shall consider the following factors :—

(*a*) the location of the institution;

(*b*) the nature of the medical courses;

(*c*) the cost of land and building;

(*d*) the available infrastructure and equipment;

(*e*) the expenditure incurred or being incurred on faculty, administration and maintenance;

(*f*) the reasonable profit, required for the growth and development of the instituion; and

(*g*) any other relevant factor, which the State Government deems just and appropriate for the determination of fee.

(2) Before determining fee under sub-section (1), the State Government or the said committee, as the case may be, shall give the concerned Private Medical Educational Institutions and the representatives of the students already studying in such institutions and the representatives of the students, who intend to seek admission in those institutions, a reasonable opportunity to express their view points in writing in respect to the fee determination.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the State Government may, in public interest, determine a provisional fee structure:

Provided that the fee shall be fixed in accordance with the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) within a period of ninety days from the fixation of such provisional fee.

(4) Notwithstanding and thing contained in sub-sections (1) and (2), the State Government shall have the power to review the fee structure fixed by any Committee, prior to the commencement of this ordinance.

8. *Mechanism for dealing with contraventions.*— (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a nodal officer, not below the rank of a Joint Secretary to the State Government for entertaining complaints with regard to the contraventions of the provisions of this Ordinance or any notification issued thereunder.

(2) The State Government may also take a *suo moto* notice of the contravention of the provisions of this Ordinance or any notification issued thereunder.

(3) The State Government may cause an enquiry to be made into the allegations levelled by the complainant or on its *suo moto* initiative and take the following actions, namely:—

(*a*) file the complaint, if in its opinion, it is a vexatious, anonymous or pseudonymous complaint; or

(*b*) direct the complainant to furnish additional information or an affidavit in support of his allegations; or

(*c*) take such actions, as it may deem appropriate, keeping in view the facts and circumstances of the case.

(4) For conducting an enquiry under sub-section (3), a summary procedure shall be followed and the enquiry shall be completed within a period of sixty days.

(5) The nodal officer shall have the powers of a civil court to access, obtain and scrutinize the records of the Private Medical Educational Institutions as well as summoning of any person or any relevant official record, which he may deem necessary.

9. *Penalties.*—(1) The State Government may, if it is satisfied that a Private Medical Educational Institution has contravened any provisions of this Ordinance or any notification issued there under, it may take any or all of the following actions, namely :—

(*a*) cause the withdrawal of affiliation or recognition of such institution from the university or any other authority or body to which such institution is affiliated;

(*b*) impose a fine on such institution, which may extend to 15 times of the excess fee charged and in the event of non deposit of fine, it shall be recoverable as arrear of land revenue;

(*c*) direct such institution to cancel the admission or registration of a student, who has been admitted to such institution in contravention of the provisions of this ordinance or the notification issued thereunder; or

(*d*) direct such institution to admit a student to whom admission has been wrongly denied.

(2) Before taking any action under sub-section (1), a reasonable opportunity of being heard shall be provided to such institution by the State Government.

10. *Powers of the State Government to issue directions.*— The State Government may, from time to time, issue to the Private Medical Educational Institutions such directions, as in its opinion, are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Ordinance and the notifications issued thereunder and such institutions shall comply with the directions so issued.

11. *Power to remove difficulties.*— (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Ordinance, the State Government may, by an order published in the Official gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon may be after it is made, before the legislature of the State.

12. *Protection of actions taken in good faith.*— No suit, prosecution or other legal proceedings shall be against the State Government or any officer or employee of the State Government or any other person or authority, authorized by the State Government for anything, which is done or intended to be done in good faith under this Ordinance or the notification issued there under.

मैं "हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शिक्षा संस्था (प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करना) अध्यादेश, 2006" के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

माननीय राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शिक्षा संस्था (प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करना) अध्यादेश, 2006" के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित